बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालय:–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

CIN-U74110BR2012SGC018889

Website:www.bsptcl.bih.inc.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं० – 396 / पटना, दिनांक 15/02/2023 /

T-I/PF-JEE-10006/2014

श्री सत्येन्द्र चौधरी (E12953), तदेन कनीय विद्युत अभियंता, क्रिटल, सम्प्रति कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित), कम्पनी मुख्यालय, पटना को सरकारी सेवक आचार सहिता की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं कम्पनी की छवि धूमिल करने इत्यादि के प्रथम दृष्ट्रव्या प्रमाणित आरोपों के लिए कम्पनी के कार्यालय आदेश संख्या–255 दिनांक–25.05.2022 द्वारा तत्क्षण प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या–1397 दिनांक–06.06.2022 द्वारा प्रपत्र ''क'' में आरोप गठित करते हुए श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत विशेष सचिव, बिहार सरकार–सह–सूचीबद्ध, जाँच पदाधिकारी को जाँच पदाधिकारी एवं श्री विजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, कम्पनी मुख्यालय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक–407 दिनांक–25.10.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध लगाये गये सभी तीन आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

तदुपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री चौधरी से उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–2847 दिनांक–01.12.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री चौधरी द्वारा उपरोक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र दिनांक–07.12.2022 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आरोपी श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चौधरी ने अपने समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो प्रमाणित आरोपों को नकार सके। श्री चौधरी द्वारा मुख्यतय विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया गया है। अपने बचाव में वे कोई ठोस तथ्य/कागजात समर्पित नही किये है। अतएव समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को असंतोषप्रद मानते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i) एक वेतन वृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) निलंबन अवधि में बिताई गयी अवधि के विनियमन पर अंतिम रूप से निर्णय न्यायालय (महिला थाना गर्दनीबाग (पटना) कांड संख्या–152/21 दिनांक–29.12.2021) से प्राप्त फलाफल के आलोक में लिया जायेगा।

(iii) मुख्यालय में उपस्थित अवधि का मात्र का ही जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जायेगा।

तदनुसार, श्री चौधरी को तत्क्षण प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया

(कृ०पृ०उ०)

जाता है:–

(i) एक वेतन वृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) निलंबन में बिताई गयी अवधि के विनियमन पर अंतिम रूप से निर्णय न्यायालय से प्राप्त फलाफल के आलोक में लिया जायेगा।

(iii) मुख्यालय में उपस्थित अवधि मात्र का ही जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जायेगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री सत्येन्द्र चौधरी (E12953), तदेन कनीय विद्युत अभियंता, क्रिटल सम्प्रति कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित), कम्पनी मुख्यालय, पटना को भेज दी जाय।

आदेशानुसार,

ह0/–

(राजीव कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक – ______________/ पटना, दिनांक–______________/

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (मानव संसाधन) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(राजीव कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक – 397 / पटना, दिनांक–15/02/2023/

प्रतिलिपि–निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/सभी मुख्य अभियंता/ महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, सचंरण जोन, पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/उपमहाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ डी0 बी0 ए0/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी सहायक विद्युत अभियंता, ग्रिड उपकेन्द्र/ सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री सत्येन्द्र चौधरी (E12953), तदेन कनीय विद्युत अभियंता, क्रिटल सम्प्रति कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित), कम्पनी मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि इसकी प्रति कम्पनी के बेवसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करेंगें।

15-02-23

(राजीव कुमार सिंह)
उप सचिव

15/2/23